खंड 1 संख्या 142

# राष्ट्र महिला

मई 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

## सम्पादकीय

वाशिंगटन स्थित जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो द्वारा 'विश्वपर्यंत महिलाओं तथा लड़कियों की स्थिति' शीर्षक से प्रकाशित 2011 के आंकड़ों की विवरणिका दर्शाती है कि भारत में 20 से 24 वर्ष के बीच की आयु की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि बाल विवाह के मामले में भारत की स्थिति उप-सहाराई अफ्रीका से अथवा समस्त अफ्रीका को साथ में लिया जाये तो भी वहां से बदतर है।

अफ्रीका महाद्वीप का औसत 34% है। घाना, सूडान और नाइजीरिया सहित अधिकांश अफ्रीकी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। इस बारे में पाकिस्तान का औसत 24% है और अफगानिस्तान तक 43% पर भारत से बेहतर है।

भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष होने के बावजूद, नाबालिग लड़कियों के विवाह को रोकने में भारत का प्रदर्शन शोचनीय रहा है।

निस्संदेह, इसका मूल कारण विकास की अपेक्षा सांस्कृतिक मनोवृत्ति अधिक है। लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, उनके बारे में यह भय बना रहता है कि विवाह से पूर्व ही वे किसी पुरुष के साथ संबंध न बना लें और अविवाहित मां बन कर परिवार की बदनामी का कारण बन जायें। एक और कारण है दहेज का चलन जिससे कि गरीब

**चर्चा में** — **खोया बचपन**

लोग अपनी लड़कियों का जल्द विवाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह तथ्य है कि गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्यों में भी लोग अल्पायु विवाह के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की परवाह किए बिना अपनी पुत्रियों का जल्द विवाह कर देते हैं।

यद्यपि हमारे देश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जैसे कानून हैं, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह निषिद्ध है, परन्तु इस कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। अक्षा तीज पर प्रति वर्ष भारी संख्या में बाल विवाहों के समाचार मिलते हैं।

परन्तु इस चक्र से बाहर निकलने के तरीके हैं। बाल विवाह विरोधी कानूनों का बहुत कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए जिसमें प्रशासन, पुलिस तथा गैर-सरकारी संगठनों को मिल कर प्रयास करना चाहिए। बिहार की तरह, लड़कियों को स्कूल न छोड़ने की प्रेरणा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए क्योंकि इससे परिवारों की मानसिकता बदलेगी। लड़कियों को विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे अपने लिए उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें ताकि अपने माता-पिता पर भार न बन कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन सकने का अवसर मिल सके। अल्पायु विवाह से उन्हें बचाने से न केवल मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयेगी अपितु वे एक सार्थक जीवन यापन भी कर सकेंगी। इससे शिक्षित तथा विकसित माताओं की एक नई पीढ़ी सामने आयेगी जो अपनी पुत्रियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को वरीयता देगी।

## कानूनी कक्ष से

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय में बलदेव सिंह के मामले में दिए गए निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए एक याचिका दायर की है। इस निर्णय के अनुसार बलात्कार पीड़िता के साथ समझौता होने पर बलात्कारी को छोड़ दिया जायेगा। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक और निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की याचिका दी है जिसमें न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के तीन दोषियों की सज़ा 10 वर्ष से घटा कर साढ़े तीन वर्ष कर दी थी।

- **बलात्कार की शिकार महिलाओं का अंगुलि परीक्षण** : भारत में फोरेन्सिक विशेषज्ञ और डॉक्टर बलात्कार पीड़िताओं के परीक्षण के लिए अत्यंत अशिष्ट और असभ्य प्रणाली 'अंगुलि परीक्षण' का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया अपमानजनक और वैज्ञानिक रूप से बेमानी है। आयोग ने केन्द्रीय विधि मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर इस प्रणाली को समाप्त करने का आग्रह किया था।

उत्तर में, आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया है कि इस मुद्दे पर विचार करने के बाद मंत्रालय के विशेषज्ञों से परामर्श करके मंत्रालय ने "बलात्कार के मामलों में डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट" के फार्म में परिवर्तन कर दिया है ताकि पीड़िता की डॉक्टरी जांच सुगम हो सके और उसकी शालीनता भी बनी रहे। नये फार्म को केन्द्र सरकार के दिल्ली स्थित सभी अस्पतालों में प्रयोग किए जाने के लिए भेज दिया गया है।

## बंगलादेश के प्रतिनिधि मंडल का आयोग में आगमन

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकरण देखने के प्रयोजन से बंगलादेश का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ आयोग में आया। प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की और आयोग में प्राप्त शिकायतों से निबटने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूछा। उन्होंने आयोग से वित्तपोषण संबंधी पूछताछ भी की और जानना चाहा कि क्या सरकार आयोग द्वारा मांगी गई राशि देने को सहमत है।

*बंगलादेशी प्रतिनिधि मंडल सुश्री यास्मीन अब्बार (बीच में) तथा सदस्य सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी के साथ*

## नये कामकाजों की तलाश के लिए एक समिति का गठन

रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 11 संस्थानों द्वारा चलाया जारहा है जो विभिन्न व्यावसायिक कौशल महिलाओं को सिखाती है। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष की चुनौतियों का सामना करने और परम्परागत चले आए कामकाजों के स्थान पर नये कामकाज प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए इन संस्थानों ने कुछ नये प्रशिक्षण प्रारंभ किए हैं। महिलाओं के लिए नये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।

इस समय, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत, नोएडा में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा देश के अन्य स्थानों पर 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2019 में इन केन्द्रों में 3,932 नियमित पाठ्यक्रमों में 3,932 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की वार्षिक क्षमता थी और वित्तीय वर्ष 2010-11 में 4,500 महिलाओं को लघु-कालीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये संस्थाएं निम्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं: इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिक; इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक; आर्कीटेक्चुरल असिस्टेंटशिप; कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट; ड्रैस मेकिंग; हेयर एंड स्किन केयर; डेस्कटॉप पब्लिशिंग; कम्प्यूटर एडेड एम्ब्रायडरी; इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाईनिंग; फैशन टेक्नोलॉजी; स्टेनोग्राफी; टूर एंड ट्रेवल असिस्टेंट।

एक नई स्कीम तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत 12 नये क्षेत्रीय व्यावसायिक संस्थान, 1500 आईटीआई और 50,000 कौशल विकास केन्द्र सरकारी-निजी-साझेदारी मॉडल के अंतर्गत स्थापित किए जायेंगे। ये संस्थान केवल महिलाओं के लिए होंगे।

## साहस का प्रतीक

जयपुर से 252 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में भीलवाड़ा गांव की निवासी सपना ने दृढ़ निश्चय किया कि वह 15 वर्ष की आयु में विवाह नहीं करेगी। इसलिए उसने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा कि उसकी माँ की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो गई थी और उसके पिता, महावीर मीना, उस पर तथा छोटे भाई एवं बहनों पर कम उम्र में विवाह कर लेने का दबाव डाल रहे हैं। सपना एक स्थानीय स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रही है और अध्यापिका बनना चाहती है।

सपना का पत्र पाने पर प्रशासन ने उसका विवाह रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही की। भीलवाड़ा के डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि दकियानूसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने का सपना का साहस और उसकी जागरूकता गांव की सभी लड़कियों के लिए एक उदाहरण है।

उसकी बहादुरी तथा दृढ़ता को स्वीकार करते हुए, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग ने उसे वीरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है और एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन उसे 2100 रुपये का नकद पुरस्कार देगा।

## भट्टा-परसौल हिंसा के मामले में आयोग द्वारा सीबीआई जांच की मांग

आयोग ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के भट्टा-परसौल गांव में महिलाओं पर हुए अत्याचारों के तथ्यों की जांच करके जब एक दल वहां से लौटा, उसके बाद पुलिस ने गांव की महिलाओं पर जो जुल्म किए उसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाये।

मीडिया को संबोधित करते हुए, आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री यास्मीन अब्रार ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात की भर्त्सना की कि पीड़ितों की शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उस क्षेत्र में महिला पुलिस को तैना नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं को उत्पीड़त किया गया है और उनका यौन शोषण किया गया है।

उन्होंने कहा कि आगे की जांच पड़ताल करने और साक्ष्य जमा करने के लिए वह अपने नेतृत्व में 11 सदस्यों का एक दल गठित करेंगी जिसमें अवकाश-प्राप्त जज तथा सिविल समाज कार्यकर्ता होंगे।

## दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के संशोधनों पर परामर्श

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर, 2 मई, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के संशोधनों पर एक परामर्श आयोजित किया गया। परामर्श में पुलिस अधिकारियों, राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों के अधिकारियों तथा संबंधित मंत्रालयों एवं संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया। भागीदारों ने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार किए गये दहेज निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 के मसौदे पर विचार किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) पर भी विस्तृत चर्चा हुई और सुझाव दिया गया कि दंड को अधिक कठोर बनाया जाये।

सामान्यत: निम्न मुद्दों पर सहमति बनी :-

(क) "विवाह से संबंधित" शब्दों को हटा दिया जाये।

(ख) दहेज देने वाले को दंडित न किया जाये।

(ग) कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, यह आम सहमति बनी कि दहेज निषेध अधिनियम तथा प्रसव-पूर्व गर्भ निर्धारण निषेध अधिनियम के बीच तारतम्य स्थापित किया जाये। संरक्षा अधिकारी को, बशर्ते कि वह पूर्ण-कालिक हो, दहेज निषेध अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं और आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हरियाणा में महिला कक्षों में संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रणाली बहुत सफल साबित हुई है और इसे समस्त देश में अपनाया जाना चाहिए।

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) की सात वर्ष की सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित सुझाव भी दिए गये :

1. उपहारों की सूची रखना व्यवहार्य नहीं है और इस प्रकार का संशोधन अधिनियम में किए जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि ऐसा संशोधन किया ही जाना है, तो उपहार की सूची रखने की जिम्मेवारी दोनों पक्षों की होनी चाहिए और प्रस्तावित संशोधन विधेयक में संरक्षा अधिकारी द्वारा इस सूची को प्रमाणित किए जाने का प्रावधान विधेयक में नहीं किया जाना चाहिए।
2. एक केन्द्रीय कानून द्वारा विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

## शिशु लड़कियों की उच्च मृत्यु दर का संबंध माताओं पर होने वाली हिंसा से

हारवर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जिन शिशुओं की माताएं अपने पतियों की हिंसा की शिकार रही हैं उनमें मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। भारत में, गत 20 वर्षों के दौरान 18 लाख शिशु लड़कियों की मृत्यु उनकी माताओं के प्रति हुई हिंसा से संबंधित है। दिसम्बर, 1985 और अगस्त, 2005 के बीच 1,58,000 शिशु जन्मों का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि पतियों द्वारा पत्नियों पर की जाने वाली हिंसा से शिशु लड़कियों में मृत्यु का खतरा बढ़ा है, परन्तु शिशु लड़कों में नहीं - जीवन के प्रथम वर्ष में भी और पहले पांच वर्ष में भी।

अध्ययन में कहा गया है कि इस विषमता का कारण यह है कि शिशु लड़कियों के पोषण में, उनके स्वास्थ्य पर तथा अन्य देखभाल में अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है। शिशु लड़कियों की यह उपेक्षा ऐसे परिवारों में अधिक होती है जहां महिलाओं का औहदा बहुत गिरा हुआ होता है और उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं। वर्तमान में, भारत में प्रति वर्ष 21 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है और यह देश संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य से बहुत दूर है जिसमें बाल मृत्यु-दर को 2015 तक 1990 के स्तर की तुलना में दो-तिहाई घटाने की अपेक्षा की गई है।

## सुश्री यास्मीन अब्रार अरुणिमा को देखने गईं

सुश्री यास्मीन अब्रार घायल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को देखने ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट गईं। अरुणिमा को कुछ लुटेरों ने बरेली में चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था जिससे उसका पैर कट गया था।

*सुश्री यास्मीन अब्रार अस्पताल में अरुणिमा से बात करते हुए*

सुश्री अब्रार ने कहा कि अरुणिमा को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए ताकि वह प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि अरुणिमा इस घटना के बारे में अपने पहले दिए गये बयान पर कायम है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जांच में ऐसी कोई बात नहीं पाई जिससे यह प्रतीत हो कि वह सच नहीं बोल रही है।

## 70% सेक्सकर्मी अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति में आये

पुणे विश्वविद्यालय के दो बौद्धिकों द्वारा पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सेक्सकर्मियों के सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 70% महिला सेक्सकर्मी इस व्यवसाय में स्वेच्छा से आये हैं और उन्हें बलात् अथवा बेच कर यहां नहीं लाया गया। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि गरीब परिवारों की पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को उपलब्ध काम के कई विकल्पों में एक वेश्यावृत्ति भी है। इनमें से अधिकांश महिलाएं अन्य कामों, जैसे घरेलू काम या फेरी लगाना, की तुलना में इस वृत्ति में कहीं अधिक उम्र होने पर आई हैं।

यह सर्वेक्षण 14 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में 3,000 महिला सेक्सकर्मियों तथा 2,000 से अधिक पुरुष सेक्सकर्मियों व हिंजड़ों पर किया गया था।

65% सेक्सकर्मी गरीब परिवारों से और 60% ग्रामीण क्षेत्रों से आये हैं। इनमें से अधिकतर इस वृत्ति में आने से पूर्व कोई अन्य काम करते थे। वेश्यावृत्ति में सीधे आने वालों की संख्या कम है।

*अद्यतन सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :*
**www.ncw.nic.in**

## महत्वपूर्ण निर्णय

- **बच्चों की हिरासत के मामले में विदेशी न्यायालयों का निर्णय बाध्य नहीं : उच्चतम न्यायालय**

एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही किसी विदेशी न्यायालय ने नाबालिग बच्चों की हिरासत के मामले में माता या पिता किसी के भी पक्ष में निर्णय दिया हो, उन बच्चों की हिरासत संबंधी विवाह का निर्णय भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है।

गैर-निवासी भारतीय युगलों के बीच बच्चों की हिरासत और वैवाहिक विवादों संबंधी मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या की दृष्टि में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।

- **मान हत्या बर्बर कृत्य है जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाये : उच्चतम न्यायालय**

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मान हत्याएं विरल मामलों के विरलतम वर्ग में आती हैं। ये कृत्य बर्बर तथा सामंतवादी हैं और देश पर कलंक हैं और ऐसा करने वालों की सज़ा मृत्यु है।

खंडपीठ ने कहा कि "ऐसे निर्मम और असभ्य आचरण पर अंकुश लगाने के लिए मृत्यु दंड आवश्यक है। 'मान हत्या' की बात सोचने वाले लोगों को यह संदेश जाना आवश्यक है कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।" इस टिप्पणी के साथ खंडपीठ ने दिल्ली के एक पुरुष की अपील ठुकरा दी जिसने अपनी विवाहित पुत्री की इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने अपने चाचा के साथ नाजायज़ संबंध बना रखे थे।

यह नोट करते हुए कि देश के अनेक भागों, विशेषकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, में 'मान हत्याएं' आम हो गई हैं, खंडपीठ ने कहा कि "कंगारू न्यायालयों के क्रोध से बचने के लिए प्रेमासक्त युवा जोड़ों को बहुधा पुलिस लाइंस या संरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है।"

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।